न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

ठासीन अधिकारी :– **गजेन्द्र सिंह आर.टी.एस.**
क़दमा नम्बर :– 02 / 2022

निर्णय दिनांक :– **19.01.2023**

प्रार्थीगण

1. चन्द्र प्रकाश सैनी जाति माली निवासी कुआ चौहानजीवाला वार्ड न. 15 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं राज0

बनाम

2. कैलाश चन्द्र वगैरह जाति माली निवासी कुआ चौहानजीवाला वार्ड न. 15 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

अप्रार्थीगण

<u>निर्णय प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251</u>

निर्णय दिनांक :– **19.01.2023**

निर्णय

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण संक्षेप इस प्रकार से है कि प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 के तहत प्रार्थीगण चन्द्रप्रकाश सैनी पुत्र चोथमल सैनी जाति माली निवासी कुआ चौहानजीवाला वार्ड न. 15 उदयपुरवाटी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र इस आश्य के साथ पेश किया गया है कि ढाणी चौहानजीवाली वार्ड न015 कस्बा उदयपुवाटी के निवासी है एवं ढाणी से आगे खसरा नम्बर 2830, 2901 आदी मे जाने का एक मात्र रास्ता है जिसका खसरा नम्बर 2809 के मालिको ने तारबंदी करके अवरूद्व कर दिया है। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी हल्का उदयपुरवाटी पटवारी पटवार हल्का बागोरा व भू–अभिलेख निरीक्षक उदयपुरवाटी की सयुंक्त टीम से करवाई गई। जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड से खसरा नम्बर 2809 का नाप करने पर उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तक औसतन 3 से 4 मीटर अधिक आती है मौके पर ख0न0 2809 के खातेदार केलाशचन्द, बाबुलाल, सुरेश कुमार पुत्र बशेसर पतासी देवी पत्नी बशेसर मूली, सन्तरा पुत्री बशेसर हिस्सा 1/2 दिनाराम

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

पुत्र कालुराम हिस्सा 1/2 ने तारबंदी कर रास्ते को सकड़ा कर रखा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 को स्वीकार किया जा कर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये एवं बाद तामील नोटिस शामिल पत्रावली किये गये।

दिनांक 27.12.2021 को अप्रार्थीगण जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द सिह उपस्थित आए एवं वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब नोटिस पेश करने हेतु समय चाहा। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को जवाब नोटिस पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण दिनांक 28.02.2022 को उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु समय चाहा अधिवक्ता अप्रार्थीगण को बहस हेतु पर्याप्त समय दिया गया। प्रार्थीगण की और से विद्वान अधिवक्ता श्री विधाधर जी उपस्थित आए एवं वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 25.04.2022 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई एवं दोनो पक्षो की बहस श्रवण की गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वास्ते जवाब पेश करने हेतु पुनः अवसर चाहा एवं प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर पुनः मौका निरीक्षण हेतु निवेदन किया।

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मुकदमा नम्बर 227/2021 के निर्णय के अनुसार दिनांक 12.08.2021 को गठित टीम के द्वारा किये गये सीमा ज्ञान के अनुसार खसरा नम्बर 2809 की लम्बाई उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर तीन से चार मीटर सीमा अधिक पाई गई अर्थात उक्त अधिक भूमि रास्ते की भूमि होना साबित है प्रार्थीगण उक्त सीमा ज्ञान से संतुष्ट है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 2809 मे पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये। न्यायालय के आदेश की पालना में गठित टीम ने 03.02.2022 को खसरा नम्बर 2809 के पत्थरगढी कि गई। चन्द्रप्रकाश सैनी द्वारा दिनांक 16.01.2023 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा तारबंदी कर अवरूद्ध किये गये रास्ते कि तारबंदी को हटाकर जल्द

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूँ

रास्ता खुलवाने हेतु निवेदन किया है। भूमि ख.न. 2809 में अवरूध किय गये रास्ते को अतिशीघ्र खुलवाया जावें।

पत्रावली एवं जांच रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक उदयपुरवाटी व पटवारी पटवार हल्का उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन जांच रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक उदयपुरवाटी व पटवारी पटवार हल्का उदयपुरवाटी से साबित होता है कि राजस्व ग्राम उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी के खसरा नम्बर 2809 में अप्रार्थीगण कैलाशचन्द, बाबुलाल, सुरेश कुमार पुत्र बशेसर, पतासी देवी पत्नी बशेसर मूली, सन्तरा पुत्री बशेसर हिस्सा 1/2 दिनाराम पुत्र कालुराम हिस्सा 1/2 ने तारबंदी कर रास्ते को सकड़ा कर रखा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 को स्वीकार किया जाना उचित एंव न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 का स्वीकार किया जाकर भू0अ0निरीक्षक उदयपुरवाटी एंव पटवारी पटवार हल्का उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार भूमि ख.न. 2809 के पूर्व दिशा में कि गई पत्थरगढी के आगे की गई तारबंदी व पत्थरो का पारा लगाकर अवरूद्ध किये गये कदमी रास्ते को खुलवाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हों।

(गजेन्द्र सिंह)
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

यह निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं